राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 407/2023

श्रीमती सीमा बघेल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
2. राजीव बडगुर्जर, पदस्थापित माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 03.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यव्यवस्थार्थ तहसील माण्डलगढ़, भीलवाडा, राजस्थान में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार निर्वाचन, भरतपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी 5 माह की गर्भवती महिला है, जिसके संबंध में अनुलग्नक–2 चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत हैं। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन तहसीलदार के पद पर कार्यव्यवस्थार्थ तहसील माण्डलगढ़, भीलवाडा, राजस्थान में कार्यरत है और उसे आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार निर्वाचन भरतपुर स्थानान्तरित किया गया है। जबकि अनुलग्नक–2 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी 5 माह की गर्भवती महिला है, इस प्रकार अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों एवं उसके मामले की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य